न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

राजस्व अपील : 229 / 2016

पीठासीन अधिकारी : नरेश कुमार शर्मा
(आई.ए.एस.)

1. लल्लू
2. ओम प्रकाश
3. कैलाश
4. कमलेश पिसरान गौरी लाल
5. चंद्र कांता पत्नी पप्पू
6. दीपक
7. रेखा
8. बरखा पिसरान पप्पू नाबालिगान जरिए संरक्षिका माता चंद्रकांता पत्नी पप्पू समस्त जाति लुहार निवासी बडागॉव तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा

—अपीलांट्स

बनाम

1. जमना पत्नी श्रीनारायण
2. सुशीला पत्नी रमेश
3. रुक्मणी पत्नी सत्य नारायण
4. धूजी पत्नी पॉचूराम
5. राजन्ती पत्नी शंकर
6. लक्ष्मी देवी पत्नी शंभू दयाल समस्त जाति लुहार निवासी बडागॉव तहसील नॉगल राजावतान जिला दौसा
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नॉगल राजावतान जिला दौसा
8. भू अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलेक्टर, नॉगल राजावतान

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश सहमति तकास्मा
उप तहसीलदार, लवाण दिनाकं 06.08.2005

उपस्थितः— 1. श्री बजरंग लाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट्स पक्ष
2. श्री बी0 एम0 गौड अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 01 लगायत 05
3. श्री अशोक बैरवा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 6

निर्णय दिनांक 30.10.2017

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, लवाण द्वारा तहसील दौसा के ग्राम बडागॉव की खातेदारी भूमि का आपसी सहमति के आधार पर अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य तकास्मा आदेश दिनाकं 06.08.2005 पारित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बहस में दलील है कि ग्राम बडागॉव तहसील दौसा वर्तमान तहसील नॉगलराजावतान में आराजी खसरा नं0 1420, 1421, 1423 लगायत 1430 व 2813 लगायत 2815 कुल किता 13 कुल रकबा 7.23 है0 स्थित थी। जिसकी

मुताबिक में खातोदारी जमना पत्नी श्रीनारायण, सुशीला पत्नी रमेश, रुक्मणी पत्नी सत्यनारायण, हिस्सा 204/723 व प्रभाती देवी बेवा गोरी लाल हिस्सा 203/723, धूजी पत्नी पॉचूराम हिस्सा 181/723, ...ती पत्नी शंकर हिस्सा 90/723, लक्ष्मी देवी पत्नी शंभू दयाल हिस्सा 45/723 दर्ज रिकॉर्ड थी। इस प्रकार उक्त भूमि में मृतक प्रभाती बेवा गोरी लाल का हिस्सा 203/723 दर्ज रिकार्ड था। खातेदार प्रभाती बेवा का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलांट उसके वारिसान है। रेस्पो0 1 लगायत 6 ने अपीलांट की माता प्रभाती जो अशिक्षित थी का लाभ उठाते हुए मृतक का अगूँठा निशानी लगवाकर सहमति के आधार पर गलत तरीके से आराजीयात का तकास्मा करवा लिया गया। जो विधि विरुद्ध एवंत तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर कब्जे के अनुसार पुनः तकास्मा आदेश पारित करने के आदेश तहसीलदार नॉगल राजावतान को दिये जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट पक्ष की बहस में दलील है कि ग्राम बडागॉव तहसील दौसा वर्तमान तहसील नॉगलराजावतान में आराजी खसरा नं0 1420, 1421, 1423 लगायत 1430 व 2813 लगायत 2815 कुल किता 13 कुल रकबा 7.23 है0 स्थित थी। जिसका भूमि विभाजन तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 06.08.2005 को आपसी सहमति के आधार पर किया गया है। जिसका पृथक–पृथक नामांतरकरण भी हो चुका है। तदनुसार ही खातेदार काबिज है। वादग्रस्त भूमि के बीचों बीच होकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11ए दौसा–कौथून के चौडाईकरण के लिए भूमि अवाप्ति करने पर अपी0 की नियत में बईमानी के कारण पूर्व में दिनांक 06.08.2005 को सहमति से हुए विभाजन आदेश को 11 वर्ष 01 माह 27 दिन की असाधारण विलम्ब के बाद असत्य व निराधार आधारों पर अपील न्यायालय में श्रीमान् कें समक्ष प्रस्तुत की गई है, जो मियाद के आधार पर ही चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2001 के दौरान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 53 (2) के अंतर्गत आपसी सहमति के आधार पर बॅटवारा प्रारुप तहसीलदार दौसा के समक्ष दिनांक 20.07.2005 को सभी खातेदारान द्वारा हस्ताक्षर किये जाकर पेश किया गया प्रस्तुत बॅटवारा प्रारुप पर खातेदार प्रभाती की अगूँठा निशानी भी लगी हुई है। इसी बॅटवारा प्रारुप के आधार पर तहसीलदार द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 06.08.2005 को भूमि का विभाजन किया गया है। अपीलांट द्वारा वर्ष 2005 के बॅटवारे को अब चुनौती दी गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत दफा–5 का प्रा0 पत्र पर अपीलांट की माता की सहमति के तकास्मा की कोई जानकारी नहीं होना अंकित कर पेश किया गया है। जिसमें कोई ठोस कारण नहीं है। चूँकि अपीलांट की खातेदारी पूर्व में ही अलग–अलग हो चुकी है और उनको उसकी जानकारी नहीं होना निराधार प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में वर्ष 1981 से अब तक अर्थात लगभग 11 वर्ष पश्चात अपील पेश की गई है। अपील इतनी विलम्ब से पेश किये जाने का कोई विशेष कारण भी अपीलांट द्वारा अपनी अपील में नहीं बताया गया है। अतः उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों, कानूनी प्रावधानों व न्यायिक दृष्टातों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनाकं 06.08.2005 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 अक्टूबर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा